

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 338- एक/11

जिला -कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.08.2015	<p>आवेदक अभिभाषक एवं आवेदक कई दिनों से उपस्थित नहीं हुये । अतः आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी अनुपस्थित । अतः प्रकरण अनुपस्थित होने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । अनावेदक की ओर से श्री एस0पी0 धाकड उपस्थित ।</p>	

समझ :- न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर .

निगरानी प्र. क्र. :-

R-338-I/2011

- 1- पवन कुमार सुरेखा आत्मज रामगोपाल सुरेखा उम्र लग. 57 वर्ष,
- 2- संतोष कुमार सुरेखा आत्मज रामगोपाल सुरेखा उम्र लग. 50 वर्ष,

श्री श्रीराम अग्रहार  
द्वारा आज दि. 1-3-11 को  
प्रस्तुत  
विक्रम  
1-3-11  
महानगर ऑफ कोर्ट  
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

क्रमांक 1 से 2 जन, निवासी महात्मा गांधी वार्ड, कटनी तहसील  
व जिला कटनी म.प्र. ॥ -----निगरानीकर्ता.

विरुद्ध

- 1- अरविन्द कुमार वल्दस्व० नाथूराम तिवारी,  
बल्लभ भाई पटेल वार्ड, कटनी हाल मुकाम राईट टउन जबलपुर म.
- 2- वीरेन्द्र कुमार तिवारी वल्द नाथूराम तिवारी,  
बल्लभ भाई पटेल वार्ड, कटनी, अशोक कु कालोनी, कटनी.
- 3- अरुण कुमार तिवारी वल्द नाथूराम तिवारी,  
अशोक कालोनी, कटनी, जिला - कटनी म.प्र. ॥

~~श्री श्रीराम अग्रहार~~ ----- उत्तरार्थीगण.

निगरानी याचिका धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता.

निगरानीकर्ता श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी कटनी के राजस्व प्रकरण क्र. 4/अ8 खी/121/08-09 वीरेन्द्र कुमार तिवारी विरुद्ध पवन सुरेखा बगैरह में पारित आदेश दिनांक 08-08-09 एवं दिनांक 07.02.11 में पारित आदेश के विरुद्ध निम्नांकित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी निष्ठा प्रस्तुत करते हैं :-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि प्रत्यर्थीगणों के द्वारा एक आवेदनपत्र माननीय तहसील दा:

Rajan Kumar Jure  
कटनी के समक्ष इस आशय का पेश किया था कि मौजा मुड़वारा पटवारी हल्क नंबर 42, अशोक कालोनी बल्लभ भाई पटेल वार्ड स्थित प्लॉट 30 x 60 व